सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 251 राँची ,गुरुवार 3 वैशाख, 1937 (श०)

23 अप्रैल, 2015 (ई०)

वित्त विभाग

संकल्प

20 अप्रैल, 2015

विषय: राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को देय यात्रा भत्ता की दरों में संशोधन संबंधी संकल्प ज्ञापांक सं॰ 3829/वि॰ दिनांक 13 नवम्बर, 2014 की कंडिका-5(D)(ख) स्थानान्तरण अनुदान (नियम 88)(i)(क) से (ङ) में संशोधन के संबंध में ।

संख्या 6/एस-5 (भत्ता)-02/2011/1133/वि०-- केन्द्रीय छठे वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों के वेतन एवं भत्तों का पुनरीक्षण किया गया है। राज्य के सेवीवर्ग को केन्द्रीय कर्मियों के अनुरूप वेतनमान एवं अन्य भत्ते स्वीकृत करने संबंधी सैद्धान्तिक सहमति के आलोक में वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/वि॰, दिनांक 28 फरवरी, 2009 द्वारा राज्य के सरकारी सेवकों के वेतनमान पुनरीक्षण एवं वित्त विभाग के पत्रांक 2668/वि॰, दिनांक 04 अगस्त, 2009, संकल्प संख्या 3336/वि॰ दिनांक 17 सितम्बर, 2014 तथा राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए यात्रा भत्ता की दरों संबंधी संकल्प ज्ञापांक सं॰ 3829/वि॰ दिनांक 13 नवम्बर, 2014 द्वारा दैनिक भत्ता, मील भत्ता, स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि के दरों में वृद्धि हेतु झारखण्ड यात्रा भत्ता नियमावली के संगत नियमों केा संशोधन करने का निर्णय लिया गया है ।

2. राज्य के सरकारी सेवकों को देय यात्रा भत्ता की दरों संबंधी संकल्प ज्ञापांक संख्या 3336/वि॰ दिनांक 17 सितम्बर, 2014 के अनुरूप ही राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए यात्रा भत्ता की दरों संबंधी संकल्प ज्ञापांक सं॰ 3829/वि॰ दिनांक 13 नवम्बर, 2014 निर्गत की गयी है। जिसकी कंडिका 5(D)(ख) स्थानान्तरण अनुदान (नियम 88)() (क) से (ङ) निम्नरूपेण है:-

(ख) स्थानान्तरण अनुदान (नियम 88) () :- वित्त विभाग के पत्र संख्या 4725/वि०, दिनांक 27 अगस्त, 1991 द्वारा सरकारी सेवकों के मूल वेतन का एक तिहाई स्थानान्तरण अनुदान पूर्व से अनुमान्य है। राज्य सरकार ने राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारी के लिये स्वीकृत पुनरीक्षित वेतनमान में यथा परिभाषित मूल वेतन के समतुल्य राशि स्थानान्तरण अनुदान के रूप में अनुमान्य करने का निर्णय लिया था, इसमें निम्न परिवर्तन भारत सरकार के परिपत्र एवं अन्य राज्यों में प्रचलित दर के क्रम में निम्न संशोधन किया जाता है:-

(क) एक जिले के अधीन हुये स्थानान्तरण पर स्थानान्तरण अनुदान देय नहीं होगा। मात्र आवास परिवर्तन की स्थिति में [5{D(ग)}] के अनुरूप मात्र अनुमान्य होगा ।

(ख) 60 कि॰मी॰ की परिधि में दूसरे जिले में भी हुए स्थानान्तरण पर उक्त 'क' की शर्त्ते अनुमान्य होगी ।

(ग) एक वर्ष के अन्दर किसी पदाधिकारी का स्थानान्तरण उसके पूर्व पदस्थापित जिले में पुनः पदस्थापित होने पर [5{D(ख)()(क)}] के अनुरूप रहेगा ।

(घ) 200 कि॰मी॰ के अन्दर स्थानान्तरण होने पर एक तिहाई ही स्थानान्तरण अनुदान देय होगा ।

(ङ) मात्र 200 कि॰मी॰ से दूर स्थानान्तरण होने पर ही मूल वेतन के समतुल्य स्थानान्तरण अनुदान देय होगा ।

3. राज्य के सरकारी सेवकों को देय यात्रा भत्ता की दरों संबंधी संकल्प ज्ञापांक संख्या 3336/वि॰ दिनांक 17 सितम्बर, 2014 के अनुरूप ही राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए यात्रा भत्ता की दरों संबंधी संकल्प ज्ञापांक सं॰ 3829/वि॰ दिनांक 13 नवम्बर, 2014 की कंडिका 5(D)(ख) स्थानान्तरण अनुदान (नियम 88)() (क) से (ङ) में किये गये प्रावधान कार्मिक, प्रशासनिक तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या 4598 दिनांक 29 अगस्त, 2006 की कंडिका-2(x) का विरोधाभाषी है। उक्त संकल्प की कंडिका-2(x) निम्नरूपेण है:-

कंडिका-2(x) स्थानांतरण अनुदान/भत्ता की निकासी:- राज्य के न्यायिक पदाधिकारियों को 20 कि०मी० की परिधि से अधिक दूरी तक के स्थान पर स्थानांतरण होने की स्थिति में उन्हें एक माह के मूल वेतन के बराबर की राशि स्थानांतरण अनुदान के रूप में देय होगा ।

4. न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए गठित शेट्टी कमीशन के द्वारा स्थानान्तरण भत्ता संबंधी अनुशंसा निम्नरूपेण है:-

TRANSFER GRANT/ DISTURBANCE ALLOWNACE

19.173 Each State has prescribed the rules regarding payment of Transfer Grant for transferred officers. But such Rules are in variance with the provisions made by the Central Government. Recently, the Central Government has introduced what is termed as "Composite Transfer Grant" with effect from 08.10.1997. The composite Transfer Grant shall be equal to the month's Basic Pay in case of transfer involving change of station located at a distance more than 20kms from each other. In case of transfer to stations which are less than 20kms from the old station or transferred within the same city, Composite Transfer Grant will be restricted to one third of the Basic Pay, provided a change of residence is actually involved. This excludes incidental expenses of the Government servant and the members of his family, and the expenses to go from the residence to Railway Station/ Bus Stand/Air Port etc.

19.174 In our opinion this method of "Composite Transfer Grant" is simple and better than the cumbersome procedure under the existing Rules of the State Government regarding Transfer Grant. In fact, there is not much difference in the ultimate benefit in Rupees, annas and pies in one or other method.

19.175 We, therefore, recommend to all States to follow the Government of India Rules for Payment of Transfer Grant. Till then, the exiting rules in each state / UT would also govern the Judicial Officers.

5. 6th PRC के परिप्रेक्ष्य में न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए गठित पद्मनाभन कमीशन के द्वारा स्थानान्तरण भत्ता संबंधी अनुशंसा निम्नरूपेण है:-

27. The recommendation of the First National Judicial Pay Commission as approved by the Hon'ble Supreme Court is to be continued and followed.

6. अतः शेट्टी कमीशन एवं पद्मनाभन कमीशन के अनुशंसा के आलोक में राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को देय यात्रा भत्ता की दरों में संशोधन संबंधी संकल्प ज्ञापांक सं॰ 3829/वि॰ दिनांक
13 नवम्बर, 2014 की कंडिका-5(D)(ख) स्थानान्तरण अनुदान (नियम 88)()(क) से (ङ) को विलोपित करते हुए निम्न शर्त्तों के अधीन स्थानान्तरण अनुदान अनुमान्य किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

. अस्थायी स्थानान्तरण पर यात्रा भत्ता-

(क) 180 दिनों से कम की अल्प अवधि के लिए हुए अस्थायी स्थानान्तरण के सभी मामलों में मुख्यालय से प्रतिनियुक्ति के स्थान तक जाने एवं वापसी यात्रा सरकारी दौरा/यात्रा के तहत् मानी जायेगी तथा पहले 180 दिन के लिए दैनिक भत्ता अनुमान्य होगा ।

(ख) उक्त के लिए पदग्रहण काल अनुमान्य नहीं होगा। यात्रा के लिए केवल वास्तविक पारगमन काल ही अनुमान्य होगा ।

(ग) किसी प्रकार का अग्रिम अनुमान्य नहीं होगा ।

(घ) यदि 180 दिनों से अधिक की अस्थायी स्थानान्तरण अवधि को बाद में 180 दिनों या इससे कम तक घटा दिया जाता है तो पदाधिकारी द्वारा दावा किया गया वास्तविक यात्रा भत्ता में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है ।

(ङ) यदि अस्थायी स्थानान्तरण 180 दिनों या इससे कम की अवधि को बाद में 180 दिनों के लिए बढ़ा दिया जाता है तो आहरित यात्रा भत्ता का समायोजन स्थानान्तरण यात्रा भत्ता में कर दिया जायेगा। परन्तु दैनिक भत्ता संशोधित आदेश निर्गत होने की तिथि तक ही अनुमान्य होगा ।

. **<u>स्थानान्तरण पर यात्रा भत्ता</u>-**

(क) Transfer means the movement of an employee from one headquarter station in which he is employed to another such station, either to take up the duties of a new post, or in consequence of a change of his headquarters.

(ख) अनुमान्यता:- लोकहित में किये गये स्थानान्तरण पर ही स्थानान्तरण यात्रा भत्ता अनुमान्य होगा। स्वयं के निवेदन पर किये गये स्थानान्तरण में स्थानान्तरण यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा ।

(ग) स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का अधिकारी:- स्थानान्तरण यात्रा भत्ता में निम्न समाविष्ट होंगे:-

(a) एक महीने के मूल वेतन के बराबर एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान (यदि आवास परिवर्त्तन नहीं हुआ हो तो दो मुख्यालयों के बीच की दूरी 20 कि०मी० से अधिक होने के बावजूद भी अनुमान्य नहीं होगा) ।

(b) रेल/स्टीमर/हवाई जहाज से स्वयं एवं परिवार के द्वारा की गयी यात्रा का वास्तविक किराया ।

(c) वैसे स्थान जो रेल मार्ग से जुड़े हुए नहीं हो, के लिए सड़क मार्ग से की गयी यात्रा पर रोड माईलेज के अनुसार ।

(d) वर्त्तमान आवास से नये आवास तक व्यक्तिगत सामान की ढुलाई का खर्च ।

(e) पदाधिकारी के वाहन की ढुलाई का खर्च ।

नोट:- **(i)** न्यायिक पदाधिकारी के श्रेणी का निर्धारण उनके स्थानान्तरण की तिथि से एवं किराया के अनुमान्यता का निर्धारण यात्रा की तिथि के अनुसार किया जायेगा। स्थानान्तरण आदेश की तिथि के बाद परिवार के सदस्यों में जोड़े गये सदस्य को यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा ।

(ii) उपरोक्त के अलावा नये स्थानान्तरित स्थान पर सरकारी आवास के अनुपलब्धता होने के कारण परिवार को पुराने स्थान पर छोड़े जाने की वजह से न्यायिक पदाधिकारी को नये स्थानान्तरित स्थान पर आने -जाने का किराया अनुमान्य श्रेणी में अनुमान्य होगा। वैसे

पदाधिकारी जो अपने परिवार के सदस्यों को प्रमाणिक कारणों से अपने साथ दूसरी बार भी नहीं ला पाते हों, तो वैसी स्थिति में उन्हें दूसरी बार भी आने- जाने का किराया अनुमान्य होगा ।

(iii) वैसे पदाधिकारी जिनके परिवार के सदस्य स्थानान्तरित स्थान पर पदग्रहण करने के दौरान उनके साथ नहीं जाते हो तो वे स्वयं के लिए निम्न में से एक का दावा कर सकेंगे:-

पदभार ग्रहण के लिए पहली बार की गयी यात्रा

अथवा

तत्पश्चात परिवार के साथ की गयी यात्रा

III. <u>एक ही स्टेशन में स्थानांतरण होने पर</u> -

(i) यदि आवास परिवर्तन नहीं हुआ हो तो यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा ।

(ii) यदि सिर्फ स्थानांतरण की वजह से अनिवार्य रूप से आवास परिवर्तन हुआ हो तो:-

(क) सड़क माईलेज के अंतर्गत स्वयं एवं परिवार का वास्तविक वाहन व्यय एवं निर्धारित सीमा के अन्दर व्यक्तिगत सामान का ढुलाई व्यय अनुमान्य होगा।

(ख) एक महीने के मूल वेतन का एक तिहाई एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान के रूप में ।

<u>IV. दो स्टेशनों के बीच 20 कि०मी० से अनधिक अल्प दूरी के तहत, हुए स्थानान्तरण पर</u>-

(i) यदि आवास परिवर्तन नहीं हुआ हो तो यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

(ii) यदि आवास परिवर्तन हुआ हो तो:-

(क) पूर्ण स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा और

(ख) एक महीने के मूल वेतन का एक तिहाई एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान के रूप में।

<u>V. जब पति-पत्नी दोनों का स्थानांतरण एक स्टेशन से दूसरे एक ही स्टेशन में होता हो</u>-

जब पति-पत्नी दोनों का स्थानांतरण छः महीने के अन्दर हो जाता हैः-

(i) 60 दिनों के बाद पति/पत्नी के स्थानांतरण होने पर, जिस पति/पत्नी का स्थानांतरण पहले हो जाता है तो उसे एकमुश्त स्थानांतरण अनुदान तथा जिस पति/पत्नी का स्थानांतरण बाद में हो, उसे 50 प्रतिशत एकमुश्त स्थानांतरण अनुदान अनुमान्य होगा।

(ii) यदि दोनों का स्थानांतरण आदेश 60 दिनों के अन्दर निर्गत होता है तो वैसी स्थिति में 50 प्रतिशत का दूसरा स्थानांतरण अनुदान अनुमान्य नहीं होगा।

7. यात्रा भत्ता के निमित्त पूर्व में निर्गत परिपत्र/संकल्प इस हद तक संशोधित समझा जाय।

8. यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा ।

9. 6^{h}PRC के परिप्रेक्ष्य में यात्रा भत्ता से संबंधित निर्गत सभी परिपत्र/संकल्प इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे ।

10. झारखण्ड यात्रा भत्ता नियमावली, 2000 में सन्निहित अन्य सभी शर्तें यथावत लागू रहेंगे ।

11. पूर्व में निर्गत वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक संख्या 3829/वि॰ दिनांक 13 नवम्बर, 2014 में सन्निहित अन्य सभी प्रावधान यथावत लागू रहेंगे ।

12 राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के मामलों में प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 351/वि॰ दिनांक 12 फरवरी, 2015 के क्रम में दिनांक 12 फरवरी, 2015 की बैठक के मद सं॰ 09 में दी गई है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
अमित खरे,
सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 251—50 ।